# भारत का उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

### दांडिक अपील कमांक 1115 / 2010

बलवीर सिंह अपीलार्थी

विरुद्व

मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थी

एवं

दांडिक अपील कमांक 1116 / 2010

भाव सिंह अपीलार्थी

विरुद्व

मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थी

दांडिक अपील कमांक 1119 / 2010

हरनाम सिंह अपीलार्थी

विरुद्व

मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थी

#### निर्णय

## न्यायमूर्ति आर बानूमथी

यह अपीलें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26.08.2008 से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण (अभियुक्त कमांक 1 से 4) की भादिव की धारा 341, 302 एवं 302 सहपित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि एवं प्रत्येक अभियुक्त पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दण्डादेश को पुष्ट किया है । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी / अभियुक्त हरनाम सिहं की आयुध अधिनियम की धारा 25 (1ए) सहपित धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि एवं उस पर अधिरोपित तीन वर्ष के सश्रम कारावास के दण्डादेश को भी पुष्ट किया है ।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 11.03.1998 को शाम के लगभग 05:30 बजे, मोहन मेहतर जो अनुसूचित जाित का था, अपनी मोटर साइकिल पर संतोष राय (असा—2) एवं कमल उर्फ कमलेश (असा—13) के साथ रेल्वे कालोनी जा रहा था । जब वे अधिवक्ता मिश्रा की गली के पास पहुँचे, तब अभियुक्त हरनाम सिहं, बलवीर सिंह, भाव सिंह एवं भरत ठाकुर ने संतोष राय (असा—2) द्वारा चलायी जा रही मोटर साइकिल को रोका । अभियुक्त हरनाम सिहं ने मोहन मेहतर को नीचे उत्तरने के लिये कहा क्योंकि वे उससे बात करना चाहते थे । जब मोहन मेहतर अपनी मोटर साइकिल से उत्तरा, तब अभियुक्त भरत ठाकुर ने लाठी से मोहन की पीठ पर वार किया । जब मोहन मेहतर स्वयं को बचाने के लिये अधिवक्ता मिश्रा की गली की तरफ दौड़ा, तब वह अभियुक्त बलवीर सिहं एवं भाव सिहं द्वारा पकड़ लिया गया एवं उसी समय अभियुक्त हरनाम सिंह ने देशी कट्टे से मोहन के चेहरे पर बहुत नजदीक

से फायर किया एवं गोली उसके मस्तिष्क एवं बायी ऑख की कार्निया में लगी एवं मोहन तत्क्षण ही घटना स्थल पर मर गया । यह घटना संतोष राय (असा–2), देवेन्द्र राय (असा–3) एवं कमल उर्फ कमलेश (असा–13) एवं अन्य लोंगो द्वारा देखी गयी

- 3. सूचनाकर्ता संतोष राय (असा—2) ने पुलिस थाना बीना में सूचना दी, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध भादिव की धारा 341, 294, 323, 302, 506 बी, 34 के अधीन एवं अनुसूचित जाित एवं अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये, दिनांक 11.03 1998 की शाम 06:00 बजे प्रथम सूचना कमांक 114/98 दर्ज की गई । डॉ. पी.के. जैन (असा—9) ने मृतक मोहन मेहतर का शव परीक्षण किया और यह मत दिया कि मृत्यु गोली लगने से आई चोट से हुई । गोली मस्तिष्क और बाई ऑख के कॉर्निया पर लगी और शेष भाग पूरी तरह से गायब था । आखों में गन पाउडर भी मोजूद था । डॉ. जैन (असा—9) ने मत दिया कि मृत्यु, उपरोक्त कारतूस से आयी चोटों से कपाल के अन्दर स्थित मध्य मस्तिष्क को हुई क्षति, जिसने हृदय एवं श्वांस को रोक दिया था, से हुई ।
- 4. अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित उनके प्रकटन कथन के आधार पर अभियुक्त हरनाम सिंह के मकान की अलमारी के निचले खंड से 0.315 बोर का देसी कट्टा जब्त किया गया । खून के धब्बे युक्त हरनाम सिंह के कपड़े भी बरामद किये गये । जब्त कट्टे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया । परीक्षण पर कट्टा चालू हालत में होना पाया गया । मृतक के शरीर से बरामद तांबे की क्षतिग्रस्त कारतूस में कट्टे की नली के कोई

निशान नहीं थे । अतः अस्त्रविज्ञान विशेषज्ञ ने अभिमत दिया कि कट्टे की नली के निशान निर्णायक मिलान हेतु पर्याप्त नहीं थे । अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियुक्तगण के विरुद्ध भादिव की धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506 बी, 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 सहपित धारा 27 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये विशेष न्यायालय, सागर, मृप्न के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया ।

- 5. अभियुक्त का दोष सिद्ध करने के लिये अभियोजन ने 14 साक्षियों का परिक्षण किया एवं अनेक दस्तावेजों को चिन्हित किया । अभियुक्त की ओर से बाबूलाल (बसा—1) को परीक्षित किया गया जिसने कहा था कि घटना दिनांक 11 03 1998 को दिन के 03:30 घटित हुई और उसने उस समय घटनास्थल पर किसी भी अभियुक्त को नहीं देखा था। द प्र.सं. की धारा 313 के अधीन सभी अभियुक्तगण से दोषसिद्ध करने वाली साक्ष्य एवं परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न किया गया और अभियुक्त ने यह कहकर सभी से इंकार किया कि उनके विरुद्ध झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है।
- 6. मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया एवं निम्नानुसार कारावास भुगतने का दण्ड दिया:—

अभियुक्त	दोषसिद्धि	दण्डादेश
हरनाम सिंह (अ1)	भादवि की धारा 341	एक माह का सश्रम
		कारावास
	भादवि की धारा 302	आजीवन कारावास एवं
		1000 / — जुर्माना
	आयुध अधिनियम की धारा	तीन वर्ष का सश्रम

	25 (1ए) / 27	कारावास एवं 1000 / — जुर्माना
बलवीर (अ2) भावसिंह (अ3) भरत सिंह (अ5)	भादवि की धारा 341 भादवि की धारा 302/34	एक माह का सश्रम कारावास आजीवन कारावास एवं 1000 / — जुर्माना, प्रत्येक

अभियुक्तगण को भादि की धारा 147, 148, 506 बी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) की धाराओं से दोषमुक्त किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सूरज को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगणों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कि आक्षिप्त आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी हमारे समक्ष हैं । अपीलार्थी भरत सिंह ने हमारे समक्ष कोई अपील प्रस्तुत की है ।

7. अन्य बातों के साथ, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह एक अंधे कत्ल का मामला है, जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन पूर्व दिनांकित है, क्योंकि इसमें जॉच कमांक 10 /98 है एवं चक्षुदर्शी साक्षीयों को प्रथम सूचना प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है, जो कि हेर—फेर से ग्रस्त है । यह निवेदन किया गया है कि चिकित्सकीय साक्ष्य, चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा दी गई साक्ष्य से दो मायनों में पूर्ण रूप से विपरीत है:— (i) चोटों एवं प्रयुक्त हथियारों की संख्या; (ii) वह दूरी जहाँ से गोली चलाई गई । यह तर्क किया गया कि एफ एस एल प्रतिवेदन के अनुसार कारतूस में कट्टे की नली के निशान, अपीलार्थी हरनाम सिंह से अभिकथित रूप से बरामद कट्टे से, निर्णायक मिलान हेतु पर्याप्त नहीं थे एवं यह घटना एवं अपीलार्थी हरनाम सिंह की लिप्तता के बारे में गंभीर शंका उत्पन्न करते हैं । यह और निवेदन

किया गया कि बाबूलाल (बसा—1) के साक्ष्य के अनुसार घटना दिन के 03:30 बजे घटित हुई एवं यह एक अंधा कत्ल था एवं उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय ने बाबूलाल (बसा—1) के साक्ष्य को विचार में लेने में असफल हुए । अपीलार्थी बलवीर सिंह एवं भाव सिंह के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि चक्षुदर्शी साक्षी अ सा 2, 3 एवं 13 विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी बलवीर सिंह एवं भाव सिंह को भादिव की धारा 302 सहपिटत धारा 34 में दोषसिद्ध करने हेतु भादिव की धारा 34 का संदर्भ लेने में त्रिट की है ।

- 8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख की अन्य सामग्री पर हमारा ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगणों की दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षी संतोष राय (असा—2), देवेन्द्र राय (असा—3) एवं कमल (असा—13) की साक्ष्य पर आधारित है जो कि चिकित्सकीय साक्ष्य एवं एफ एस एल रिपोर्ट से सम्पुष्ट है तथा अपीलार्थीगणों—अभियुक्तगणों की दोषसिद्धि पर कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।
- 9. हमने अपीलार्थीगण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार किया एवं आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य एवं सामग्रियों का अवलोकन किया ।
- 10 संतोष राय (असा—2) एवं कमल (असा—13), जो कि मृतक मोहन के साथ मोटर साइकिल पर जा रहे थे, चक्षुदर्शी साक्षी हैं । अभियोजन ने देवेन्द्र राय (असा—3) का भी अन्य चक्षुदर्शी साक्षी के रुप में परीक्षण किया है । अपने साक्ष्य में असा—2 ने कहा कि दिनांक 11 3 1998 को शाम के 05:30 बजे वह मोटर साइकिल चला रहा था और मृतक मोहन एवं कमल (असा—13) उसके साथ मोटर साइकिल

पर थे । असा—2 ने कहा कि अपीलार्थी हरनाम सिंह द्वारा रोके जाने पर, मोहन मोटर साइकिल से नीचे उतरा और अभियुक्त भरत ने लाठी से उसकी पीठ पर वार किया । मृतक पर लाठी से इस प्रकार वार किये जाने के पश्चात्, हाथापाई हुई और मृतक ने स्वयं को बचाने के लिये अधिवक्ता मिश्रा की गली की ओर दोड़ लगाई । असा—2 ने आगे कहा कि उस समय अपीलार्थी हरनाम सिंह ने मोहन को पकड़ने के लिये कहा और अभियुक्त बलवीर (अ2) एवं भावसिंह (अ3) ने मोहन को पकड़ा । अपीलार्थी हरनाम सिंह मोहन के पास गया और देशी कट्टे से उसके चेहरे पर गोली चलाई । अ सा. 13, जो मोटर साइकिल में मोहन के पीछे बैठा था ने भी घटना के बारे में स्पष्ट रुप से कहा है और इस प्रकार अ सा. 2 की साक्ष्य को संपुष्ट किया है

- 11. देवेन्द्र राय (असा—3) ने भी अ़सा. 2 के साक्ष्य को संपुष्ट किया है कि उसने अपीलार्थी हरनाम सिंह द्वारा मोटर साइकिल रोकते हुए देखा था एवं वह मोहन को गली की तरफ ले गया था । अ़सा. 3 ने कहा कि जब मोहन नीचे उतरा तब अभियुक्त भरत द्वारा पहले उसकी कमर में लाठी मारी गई और जब मोहन गली की तरफ भागा, तब हरनाम सिंह के कहने पर अभियुक्त बलवीर सिंह एवं भाव सिंह ने मोहन को पकड़ा और अपीलार्थी हरनाम सिंह ने मोहन के चेहरे पर देशी कट्टे से गोली चलाई । अ़सा. 3 ने घटनास्थल पर मृतक मोहन के साथ अ़सा. 2 एवं अ़सा 13 की उपस्थित के बारे में भी कहा ।
- 12. अभियोजन के प्रकरण को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह एक अंधा कत्ल था और वास्तव में वहाँ पर कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था एवं जिस प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इन्हें चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, वह बाद में तैयार की गई है। इस तर्क में कोई बल नहीं है कि घटना के कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे और यह एक

अंधा कत्ल था । संतोष राय (असा—2) एवं कमल (असा—13) ने स्पष्ट किया है कि कैसे वे लोग मोटर साइकिल से मृतक मोहन के साथ जाते हुए उसके साथ थे । इसी तरह अ सा 3 ने भी कहा है कि शाम के लगभग 05:00—06:00 बजे, वह झॉसी गेट गया था जो कि रेल्वे लाइन की दूसरी ओर है और उस समय उसने अ सा 2, अ सा 13 एवं मोहन को मोटर साइकिल से आते हुए देखा था । उनके द्वारा बतायी गई सभी तीनों साक्षियों की उपस्थिति स्वभाविक है एवं दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पाया कि उनकी साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करती हैं । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 11 03 1998 की शाम 06:00 बजे पंजीकृत प्रथम सुचना प्रतिवेदन में अ सा 2, अ सा 3 एवं अ सा 13 के नाम भी हैं ।

13. अ.सा. 2, 3 एवं 13 ने घटना का सुसंगत एवं स्पष्ट वर्णन दिया था । सभी तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त भरत सिंह द्वारा मृतक को लाठी से पीटने के विशेष स्पष्ट कृत्य का आरोप मढ़ा, अभियुक्त बलवीर कमांक 2 एवं अभियुक्त भावसिंह कमांक 3 द्वारा मृतक का पीछा करने व उसे पकड़ने के विशेष स्पष्ट कृत्य का आरोप मढ़ा और अभियुक्त कमांक 1 हरनाम सिंह द्वारा मृतक पर गोली चलाने के विशेष स्पष्ट कृत्य का आरोप मढ़ा । चक्षुदर्शी साक्षियों अ सा. 2, 3 एवं 13 के साक्ष्य पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाया ।

14. अपीलार्थीगणों का तर्क यह है कि घटना एक अंधा कत्ल थी एवं चक्षुदर्शी साक्षी अ सा 2, 3 एवं 13 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण विरोधाभासों एवं अंसंगतियों से ग्रस्त हैं । चक्षुदर्शी साक्षीयों के अभिसाक्ष्य में अपीलार्थीयों द्वारा बताया गये अभिकथित विरोधाभास नगण्य हैं जैसे कि अभियुक्त भरत द्वारा मृतक को लाठी से किये गये प्रहारों की संख्या के सबंधं में, शरीर के उस भाग के संबंध में जिसमें गोली मारी गई एवं उस दूरी के संबंध में जिसमें हरनाम

सिंह द्वारा मोहन को गोली मारी इत्यादि । इन तीन चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में बताये गये विरोधाभास सुक्ष्म हैं जो कि अभियोजन के प्रकरण मूल को प्रभावित नहीं करती । प्रहारों की संख्या, हरनाम सिंह एवं मृतक मोहन के बीच की दूरी एवं मृतक के शरीर का वह हिस्सा जहाँ गोली लगी, के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में बतायी गयी किमयाँ, घटना बताने वाले के अवलोकन की सामान्य त्रुटि के कारण संभव है, जो उन्होंने देखी । किसी हमले को देखने वाले की अवलोकन की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में अलग—अलग होती है । जब किसी व्यक्ति द्वारा हमले की मुख्य घटना एवं हथियार का अवलोकन किया जाता है तब उस दौरान, प्रहारों की संख्या, वह दूरी जिससे गोली चलाई गई थी, के अन्य सूक्ष्म विवरण पर उसका ध्यान नहीं जा सकता । जब तक चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाये जाते हैं, उनके साक्ष्य पर सूक्ष्म विरोधाभासों के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता

15. यह उचित रुप से सुस्थापित है कि चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में सूक्ष्य किमयाँ उनकी विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करते हैं । अप्पाभाई एवं एक अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य 1988 सप एससीसी 241 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि:—

"13. ——— उन किमयों को त्यागा जा सकता है जो कि अभियोजन प्रकरण के मूल वृतांत को कमजोर नहीं करती । उन किमयों को महत्व नहीं देना चाहिये जो अनुभूति एवं अवलोकन की सामान्य त्रुटि के कारण होती हैं । स्मरण शक्ति के क्षीण होने के कारण हुई त्रुटियों को उचित छूट दी जा सकती है । प्रत्येक प्रकरण में व्यक्ति एवं मामले के अपने विशाल अनुभव की साहयता लेते हुए, न्यायालय को किसी साक्षी द्वारा दिए गए अतिशयोक्तिपूर्ण वृतांत का

अपवर्जन करते हुए, अभिलेख की समस्त सामग्रियों का मूल्यांकन करना चाहिए । ऐसे साक्षी द्वारा अभिकथित निश्चित तथ्यों के संबंध में जब कोई शंका उत्पन्न होती है, तब उस तथ्य की अवहेलना करना ही उचित मार्ग है जब तक कि वह अभियोजन की कहानी की जड़ तक जाकर उसे ध्वस्त नहीं कर देता । आजकल साक्षीगण अपने वृतांत में अलंकरण जोड़ते चले जाते हैं, शायद इस भय से कि उनका अभिसाक्ष्य न्यायालय द्वारा खारिज न कर दिया जाये । हालॉिक, न्यायालयों को ऐसे साक्षियों के साक्ष्य पर सर्वथा अविश्वास नहीं करना चाहिये, यदि वे अन्यथा विश्वसनीय हैं —————''।

- 16. एक सुस्थापित सिद्धांत, कि साक्षियों की मौखिक अभिसाक्ष्य में आयी छोटी किमयाँ साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं डालते हैं, अन्नारेड्डी सांबासिवा रेड्डी एवं अन्य विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (2009) 12 एससीसी 546 एवं रम्मी उर्फ रामेश्वर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (1999) 8 एससीसी 649 में दोहराया गया है । वर्तमान प्रकरण में संतोष राय (असा–2), देवेन्द्र राय (असा–3) एवं कमल (असा–13) की साक्ष्य में बताये गये विरोधाभास, सामान्य किमयाँ हैं जो कि अवलोकन करने में सामान्य त्रुटियों के कारण हैं, हमारे मत में इन साक्षीगणों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं डालते ।
- 17 देवेन्द्र राय (असा—3) की विश्वसनीयता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह हत्या सहित 10—15 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त है । प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके समक्ष यह सुझाव रखा गया कि अभियुक्त क्रमांक—2 बलवीर सिंह ने अ सा 3 के विरुद्ध गवाही दी थी और बलवीर सिंह एवं उसके परिवार जनों से उसकी दुश्मनी है और इसलिये वह अभियुक्त क्रमांक 1 से 3, जो कि सगे भाई हैं, के विरुद्ध झूठा

खण्डन (डिस्क्लेमर): स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रायोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रायोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा ।

कथन कर रहा है । अ सा. 3 को यह भी सुझाव दिया गया कि उसके पिता ने अभियुक्त हरनाम सिंह एवं बलवीर सिंह के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया है और वे कथित प्रकरण से दोषमुक्त कर दिये गये जिसके बारे में अ सा. 3 ने किसी भी जानकारी होने से इंकार किया । अ सा. 3 ने किसी भी आपराधिक प्रकरण में लिप्त होने से इंकार किया; हालॉकि, उसने यह स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध दं प्र सं. की धारा 110 के अधीन कार्यवाहियाँ प्रारंभ की गई थीं । अ सा. के अभिसाक्ष्य पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि वह आपराधिक प्रकरणें में लिप्त है और बलवीर सिंह एवं हरनाम सिंह से उसकी शत्रुता है । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अ सा. 3 का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है कि वह मृतक मोहन के साथ मोटर साइकिल से गया था । अभियोजन साक्षियों के पूर्व का इतिहास, उनके कथनों पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता । और यह भी कि जब अधीनस्थ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि साक्षियों की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय एवं स्वीकार्य है, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अभिलखत किया है

## 18 पुनःतर्क- प्रथम सूचना प्रतिवेदन में जॉच कमांक का उल्लेख

अपीलार्थी हरनाम सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन के कॉलम क्रमांक 11, जॉच प्रतिवेदन—प्रकरण क्रमांक 10/98 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया एवं तर्क किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में जॉच क्रमांक 10/98 है, जबिक जॉच प्रतिवेदन में प्रथम सूचना प्रतिवेदन के क्रमांक का उल्लेख नहीं है । यह तर्क किया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में ही जॉच क्रमांक का लिखा होना एवं जॉच प्रतिवेदन में प्रथम सूचना प्रतिवेदन के क्रमांक का उल्लेख नहीं होना, अभियोजन द्वारा अभिकथित घटना का समय एवं तरीके पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है । उक्त तर्क का खंडन करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो कि एक मुद्रित प्रपन्न होता

है उसमें जॉच क्रमांक के सम्मुख के कॉलम में जॉच क्रमांक लिखने का विकल्प होता है, उसमें हस्तलिपि में जॉच क्रमांक लिखे जाने को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन जॉच के बाद पंजीकृत किया गया था ।

19. प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक मुद्रित प्रारुप है जिसमें कॉलम क्रमांक 11 "जॉच प्रतिवेदन'' है । प्रथम सूचना प्रतिवेदन के कॉलम क्रमांक 11 में, निःसंदेह, जॉच कमांक 10/98 है । मात्र इस कारण से कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में जॉच कमांक अन्तर्विष्ट है, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन जॉच के बाद पंजीकृत किया गया था । उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध राम कुमार एवं अन्य (2017) 14 एससीसी 614 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''मात्र यह तथ्य कि जॉच प्रतिवेदन में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक भिन्न स्याही से लिखा गया था, यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पूर्व समय की अथवा पूर्व दिनांकित थी" । अन्वेषण अधिकारी एस डी खान (असा-14) ने कहा है कि उसने जॉच प्रतिवेदन 10/98, द प्र सं की धारा 174 के अर्न्तगत मृतक मोहन की मृत्यु के संबंध में पंजीकृत की है । जैसा कि अ सा 2 के साक्ष्य में पाया गया है, घटना के पश्चात्, मोहन का मृत शरीर रोड से 20 गज की दूरी पर पड़ा हुआ था एवं वह परिवाद दर्ज करने हेतु लल्लू चौराहे एवं सर्वोदय चौराहे से होते हुए पुलिस थाने गया था । जॉच का घटना स्थल पर किया जाना एवं भादवि की धारा 302, 506 बी, 341, 294, 323, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन का थाने में पंजीकृत किया जाना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में जॉच क्रमांक का उल्लेख न तो अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित करती हैं और ना ही चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।

- 20. प्रथम सूचना प्रतिवेदन में विलंब दिनांक 11 03 1998 को शाम 05:30 बजे की घटना का प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक 114/98 उसी दिन शाम 06:00 बजे पंजीकृत की गया था। आरक्षक राधे श्याम (असा—10) की साक्ष्य के अनुसार दिनांक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 12 03 1998 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बीना को सौंप दी गई थी। जहाँ तक न्यायालय में प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्राप्ति में विलंब के संबंध में तर्क है, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंजीयन के तुरंत बाद न्यायालय को प्रथम सूचना प्रतिवेदन नहीं भेजना, अभियोजन प्रकरण के खिलाफ नहीं माना जा सकता क्योंकि शाम 05:30 के पश्चात् न्यायालय का समय समाप्त हो जाता है एवं इन परिस्थितियों में अगले दिन न्यायालयीन समय के दौरान प्रथम सूचना प्रतिवेदन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना इस बात को इंगित नहीं करता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पूर्व दिनांकित है। हमारे मत में, न्यायालय में प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्राप्ति में विलंब के आधार पर अभियोजन के प्रकरण में संदेह नहीं किया जा सकता।
- 21. पुनःतर्क चिकित्सकीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के मध्य असंगतता अ सा 2 ने अपने साक्ष्य में कहा कि हरनाम सिंह ने मोहन के चेहरे पर गोली मारी थी एवं अ सा 3 एवं 13 ने कहा कि हरनाम सिंह ने मोहन की बॉयी ऑख में गोली मारी । जैसा कि पूर्व में बताया गया कि डॉ पी के जैन (असा—9) ने अपने साक्ष्य में कहा कि बॉयी ऑख की कार्निया एवं शेष भाग पूरी तरह से गायब था एवं एक गोली सेरीबेलम के पास पायी गयी थी । मृतक की ऑखों में गन पाउडर पाया गया था । अ सा—9 ने मत दिया कि मृत्यु, उपरोक्त कारतूस से आयी चोटों से कपाल के अन्दर स्थित मध्य मस्तिष्क को हुई क्षति, जिसने हृदय गति एवं श्वांस को रोक दिया था, से हुई । डॉ पी के जैन (असा—9) के मतानुसार मृत्यु मुख्यतः मस्तिष्क में गोली लगने

से कारित हुई । पूछे जाने पर असा—9 ने कहा कि गोली नजदीक से चलाई गई थी, जैसा कि मृतक की बॉयी ऑख में गन पाउडर की मौजदगी से दिखता है । डॉ जैन ने मत दिया कि चूंकि बॉयी ऑख के चारों और गन पाउडर के निशान थे, इसलिये गोली लगभग एक फुट की बहुत पास की दूरी से चलायी गई होगी ।

- 22. अपीलार्थी का तर्क है कि अ़सा 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब गोली चलाई गई थी उस समय हरनाम सिंह मृतक मोहन से लगभग 1—2 गज दूर था । अतः यह तर्क दिया गया कि, उस दूरी जिससे अभियुक्त हरनाम सिंह ने मोहन पर गोली चलाई, से संबंधित विरोधाभास अभियोजन के प्रकरण के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं ।
- 23. निःसंदेह, असा 2 ने कहा कि जब हरनाम सिंह ने गोली चलाई, वह मोहन से 1—2 गज की दूरी पर था; किंतु असा 3 एवं 13 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक को अपीलार्थी बलवीर सिंह एवं भाव सिंह ने पकड़ा और हरनाम सिंह ने मृतक को पास से गोली मारी । जैसे कि पहले बताया गया कि अभियुक्त बलवीर सिंह एवं भाव सिंह के द्वारा मृतक के हाथों को पकड़े रखना कहा गया था एवं यह संभव है कि गोली मोहन की ऑखों में लगी । सभी तीनों चक्षुदर्शी साक्षीयों ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि हरनाम सिंह ने मोहन के चेहरे पर गोली मारी । गोली चलाई जाने की दूरी के संबंध में असा 2 के साक्ष्य में आए अंतर के बारे यह नहीं कहा जा सकता कि वह अभियोजन के प्रकरण को घातक रूप से प्रभावित करता है ।
- 24. अपीलार्थी हरनाम सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि चिकित्सक, जिसने शव परीक्षा की थी, ने अपने प्रतिवेदन में गोली के मार्ग को चिन्हित नहीं किया था । यह निवेदन किया गया था कि जब मृतक को गोली मारी गई थी, उसके चेहरे की स्थिति ऊपर की ओर थी और जब चेहरा ऊपर हो तब यह संदेहास्पद हो जाता है कि हरनाम सिंह मृतक की आखों में गोली चला सकता था । जैसा कि विचारण

न्यायालय द्वारा बताया गया, हाथापाई के दौरान एवं मृतक द्वारा स्वयं को बचाने के लिये दूर भागने के दौरान, मृतक के चेहरे की स्थिति का ऊपर होना अथवा ना होना को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता जिससे अभियोजन के इस वृतांत पर संदेह किया जा सके कि मोहन की बॉयी ऑख में गोली लगी । डॉ के मत के आधार पर उपरोक्त दिया गया तर्क चक्षुदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को प्रभावित नहीं कर सकता ।

25. गोली लगने की चोट जिससे कि मृत्यु कारित हुई थी, के अलावा मृतक मोहन के शरीर पर 9 अन्य चोंटे भी पाई गई थी । मोहन के बॉयी भुजा पर, सीने के बॉये भाग में खरोंच; सिर के मध्य भाग में अन्तःक्षित एवं कटा हुआ घाव एवं ठोढ़ी के बॉये भाग पर छिन्न घाव आये थे । डॉं जैन (असा—9) ने मत दिया कि मृतक की पीठ एवं भुजाओं पर आयी चोंटे भिन्न आकृतियों की थी एवं इसिलये, इस बात की संभावना है कि वे अलग अलग हथियारों से कारित की गई होंगी । किसी व्यक्ति पर किये गये हमले में आयी चोटों की प्रकृति, हमले के तरीके पर एवं कि व्यक्ति की स्थिति एवं उसके द्वारा किये गये प्रतिरोध पर निर्भर करती है । मोहन पर अभियुक्त भरत सिंह के द्वारा लाठी से अंधाधुंध प्रहार किया गया था एवं यहाँ मृतक को विभिन्न आकृतियों की चोटें आने की संभावना है । मात्र केवल इसिलये कि, मृतक मोहन को विभिन्न आकृतियों की चोटें आई हैं, वैचारिक चिकित्सकीय साक्ष्य पर, चक्षुदर्शी साक्षियों की सुसंगत साक्ष्य संदेहास्पद नहीं हो सकती ।

26. यह सुस्थापित है कि चूंकि चिकित्सकीय साक्ष्य मूल रुप से वैचारिक हैं, इसिलये मौखिक साक्ष्य को प्रधानता प्राप्त करनी होती है । रामानंद यादव विरुद्ध प्रभु नाथ झा एवं अन्य (2003) 12 एससीसी 606 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:—

"17 जहाँ तक चिकित्सकीय साक्ष्य एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य के मध्य अभिकथित अंतर का संबंध है, यह प्रचलित विधि है कि मौखिक साक्ष्य को प्रधानता प्राप्त करनी होती है एवं चिकित्सकीय साक्ष्य मूल रुप से वैचारिक है । यह केवल तब जब चिकित्सकीय साक्ष्य उस चोट को विशेष रुप से खारिज करता है जिसे मौखिक साक्ष्य के अनुसार आई होने का दावा किया गया है, केवल तब किसी दिये गये प्रकरण में न्यायालय को प्रतिकूल अनुमान निकालना पड़ता है ।"

इसी सिद्धांत को उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध कृष्ण गोपाल एवं एक अन्य (1988) 4 एससीसी 302 में दोहराया गया था, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया ''कि चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीयता के लिये उनके वृत्तांत का सावधानीपूर्वक स्वतंत्र मूल्यांकन एवं आकलन करना आवश्यक होगा जिसे चिकित्सकीय साक्ष्य सिहत अन्य साक्ष्य पर विचार करने में, ऐसी विश्वसनीयता के परीक्षण के लिये एकमात्र कसौटी के रुप में, प्रतिकूल रुप से पूर्वनिर्धारित नहीं करना चाहिये।

27. चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में बतायी गई परस्पर असंगतता एवं चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के मध्य अभिकथित असंगतता, सूक्ष्म विरोधाभास हैं और वे अभियोजन के प्रकरण को कमजोर नहीं करते । चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य न्याय के ऑख एवं कान होते हैं । अ सा 2, 3 एवं 13 के सुसंगत वृतांत को चिकित्सकीय साक्ष्य की कसौटी पर निर्णीत नहीं किया जा सकता ।

28. **कट्टे की बरामदगी एवं एफ** एस एल प्रतिवेदन — अपीलार्थी—हरनाम सिंह की संस्वीकृति के आधार पर, अपीलार्थी—हरनाम सिंह के मकान की अल्मारी के निचले खंड से एक देशी कट्टा (वस्तु ''अ'') बरामद किया गया । अपीलार्थी—हरनाम सिंह के

घर से देशी कट्टे की बरामदगी अन्वेषण अधिकारी एस डी खान (असा—14) के साक्ष्य द्वारा सिद्ध होती है ।

29. प्रदर्श पी.30 एफ.एस.एल. प्रतिवेदन है जिसके अनुसार कट्टा (वस्तु ''अ'') एक देशी कट्टा है जो चालू हालत में पाया गया था और उसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था । मृतक मोहन के शरीर से बरामद गोली प्रदर्श ईबी1 के रूप में चिन्हित थी । एफ.एस.एल. प्रतिवेदन में विशेषज्ञ ने यह मत दिया था कि कारतूस में पाये गये कट्टे की नली के निशान निर्णायक मिलान हेतु पर्याप्त नहीं थे। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

"प्रदर्श अ.1 एक देशी कट्टा है, जो कि 0.315" बोर कारतूस को फायर करने हेतु बना है । यह चालू हालत में हैं । इसकी नली में फायरिंग के अवशेष होना पाया गया है। वह समय वैज्ञानिक निश्चितता के साथ कहना संभव नहीं है जब इसे अंतिम बार चलाया गया था । इसे ऐसी चोट कारित करने हेतु चलाया जा सकता है जिससे मृत्यु होना संभव है ।

प्रदर्श ईबी 1 0 315" बोर की गोली जैसी कारतूस है । यह, तांबे का आवरण / नाजुक सिरा युक्त एवं अंशतः क्षतिग्रस्त है । इसमें नियमित गोली चलाने के निशान नहीं हैं । इसमें नली के निशान हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं । अतः मिलान की अनुपस्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि क्या यह प्रदर्श अ 1 से फायर की गई है अथवा प्रदर्श अ 1 जैसी किसी अन्य समान कट्टे से ।" (रेखांकित की गई)

एफ एस एल प्रतिवेदन (प्रदर्श पी 30) से यह स्पष्ट है कि हरनाम सिंह से बरामद कट्टा चालू हालत में था एवं अपीलार्थी—हरनाम सिंह से बरामद उक्त देशी कट्टे (वस्तु ''अ'') के उपयोग से घातक चोटें कारित की जा सकती थी ।

30 अपीलार्थी—हरनाम सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एफ एस एल. प्रतिवेदन के अनुसार, विशेषज्ञ निश्चित मत नहीं दे सकते कि क्या गोली अपीलार्थी—हरमन सिंह से बरामद देशी कट्टे से फायर की गई है अथवा उक्त कट्टे जैसी अन्य कोई समान कट्टे से । इसिलये यह निवेदन किया गया था कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल हुआ है कि मृतक के शरीर से बरामद गोली कट्टे (वस्तु "अ") से फायर की गई है एवं इसिलये, फायरिंग के स्पष्ट—कार्य के लिये अपीलार्थी—हरनाम सिंह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । एफ एस एल प्रतिवेदन में कहा गया है कि गोली "एक चली हुई एवं अंशतः क्षतिग्रस्त तांबे की कारतूस / नाजूक सिरे वाली गोली उस पर रक्त जैसे पदार्थ के साथ" थी । एफ एस एल प्रतिवेदन आगे यह बताती है कि कारतूस में नियमित बंदूक चलाने के निशान नहीं हैं एवं कट्टे की नली के पाये गये निशान निर्णायक मिलान हेतु पर्याप्त नहीं थे । सब मिलाकर एफ एस एल प्रतिवेदन बताती है कि कट्टे की नली के निशान निर्णायक मिलान के लिये पर्याप्त नहीं हैं । जब अभियोजन का प्रकरण चक्षुदर्शी साक्षियों पर आधारित है तब विशेषज्ञों द्वारा दिया गया अनिर्णायक मत अभियोजन प्रकरण पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

31. विचार के लिये अगला बिंदू है कि क्या विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 को भादिव की धारा 302 सहपिटत धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध करने में सही थे कि उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में मोहन की हत्या कारित करने का कार्य किया है।

अभियुक्त कमांक 2 एवं 3 का सामान्य आशय:- जैसा कि पहले चर्चा की गई, चक्षुदर्शी साक्षीगण अ सा 2, 3 एवं 13 ने लगातार कहा है कि अभियुक्त भरत द्वारा पीठ पर लाठी से प्रहार करने पर जब मृतक मोहन गली की और दोड़ा तब अभियुक्त कमांक 2 बलवीर सिंह एवं अभियुक्त कमांक 3 भाव सिंह उसके पीछे दोड़े और कहा गया है कि उन्होंने मोहन को पकड़ा एवं उसी समय हरनाम सिंह ने देशी कट्टे से मोहन के चेहरे पर गोली मारी । अभियोजन का प्रकरण है कि अभियुक्त कमांक 2 एवं 3, हरनाम सिंह एवं अभियुक्त भरत, जो कि कमशः कट्टा एवं लाठी लिये हुए थे, के साथ उपस्थित थे । अपीलार्थीगण बलवीर सिंह एवं भाव सिंह निहत्थे थे और जब मोहन गली की ओर दोड़ा तब हरनाम सिंह के प्रबोधन पर अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 मोहन के पीछे दोड़े एवं उसे पकड़ लिया । 33. भादवि की धारा 34 को लागू करने के लिये यह स्थापित किया जाना चाहिये कि आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया था । इस प्रकार, यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि (i) कई व्यक्तियों की ओर से विशेष अपराध कारित करने के लिये सामान्य आशय था, एवं (ii) उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उनके द्वारा वास्तव में अपराध कारित किया गया था । किसी विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिये अपराधिक कार्य में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों का एक साथ सचेत मन, भादवि की धारा 34 के अधीन दायित्व का सार है । सामान्य आशय को साझा करने के संबंध में मन तब संतुष्ट होता है जब प्रत्येक अभियुक्त की स्थिति के अनुसार स्पष्ट कार्य स्थापित होता है । सामान्य आशय में पूर्वनिर्धारित योजना एवं उस पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसरण में तालमेल में कार्य करना निहित होता है । भादवि की धारा 34 में उल्लेखित आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है एवं यदि सामान्य आशय

के अग्रसरण में उक्त परिणाम प्राप्त हुआ था तो प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिये इस प्रकार उत्तरदायी है मानो कि अपराध उसके स्वयं के द्वारा कारित गया हो । 34. सामान्य आशय का निष्कर्ष अभियुक्त के आचरण से निकाला जाना होता है, ऐसा मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने रमेश सिंह उर्फ फूटी विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (2004) 11 एससीसी 305 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है ।

''12 ---- एक सामान्य सिद्धांत के रुप में, आपराधिक दायित्व के प्रकरण में यह उस व्यक्ति का प्राथमिक उत्तरदायित्व है जो वास्तव में अपराध कारित करता है एवं केवल उसी व्यक्ति को, जिसने अपराध कारित किया है, को दोषी ठहराया जा सकता है । विधान मंडल ने भादवि में धारा 34 को समाविष्ट करते हुए किसी आपराधिक कार्य को किये जाने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है । उस उत्तरदायित्व के सार को उस सामान्य आशय के अस्तित्व में पाया जाना होता है जो किसी आपराधिक कार्य को करने में अभियुक्त को ऐसे आशय के अग्रसरण में जोड़ता है । अतः, यदि कृत्य ऐसे सामान्य आशय का परिणाम है तो वह प्रत्येक व्यक्ति कारित अपराध के लिये उत्तरदायी होगा जिसने उस सामान्य आशय के साथ आपराधिक कृत्य किया था, बिना इस बात की परवाह किये कि अपराध में उसकी कितनी भूमिका थी । भादवि की धारा 34 सामान्य आशय पर आधारित आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सन्निहित करती है । सामान्य आशय का आवश्यक रुप से मन की एक अवस्था होने से, ऐसे आशय को साबित करने के लिये प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है । अतः, अधिकतर प्रकरणों में इसका अनुमान, अभियुक्त के आचरण अथवा प्रकरण की अन्य सुसंगत

परिस्थितियों जैसे कार्य, से लगाया जाना होता है । अनुमान, उस तरीके से जिससे अभियुक्त स्थल पर पहुँचा एवं आक्रमण किया, वह दृढ़ निश्चय एवं तालमेल जिससे हमला किया गया था, एवं उनमें से एक अथवा कुछ के द्वारा कारित चोट की प्रकृति, से लगाया जा सकता है । उन व्यक्तियों, जो चोट के लिये उत्तरदायी नहीं हैं, के योगदायी कृत्य का आगे अनुमान हमले के बाद के पश्चात्वर्ती आचरण से लगाया जा सकता है । इस संबंध में ऐसे अभियुक्त की ओर से कोई अवैध लोप भी सामान्य आशय में उसके योगदान को इंगित कर सकता है । अन्य शब्दों में, परिस्थितियों की समग्रता को, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार में लेना चाहिए कि क्या अभियुक्त का उस अपराध को कारित करने का सामान्य आशय था जिससे वे दोषसिद्ध हो सकते थे । (देखिये नूर मोहम्मद मोह यूसूफ मोमीन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (1970) 1 एससीसी 696)"

बालू उर्फ बाला सुब्रमनियम एवं एक अन्य विरुद्ध राज्य (यूटी आफ पांडूचरी) (2016)15 एससीसी 471 में रमेश सिंह के निर्णय का हवाला दिया गया था । 35. उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में हम विचार करते हैं कि क्या अभियोजन ने यह सिद्ध किया है कि अभियुक्त कमांक 2 एवं 3 का सामान्य आशय था और उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया । आरंभ में, पाँच अभियुक्त थे एवं अभियुक्तों को अन्य आरोपों के साथ भादिव की धारा 147 एवं 149 के अर्न्तगत आरोपित किया गया था । चूंकि अभियुक्त सूरज आरोपों से दोषमुक्त किया गया था, धन्ना विरुद्ध म प्र राज्य (1996) 10 एससीसी 79 का अवलंबन लेते हुए विचारण

न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 को भादवि की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिये भादवि की धारा 34 का सहारा लिया ।

- 36. क्या अधीनस्थ न्यायालय, भादवि की धारा 34 का सहारा लेते हुए अभियुक्त कमांक 2 एवं 3 को दोषसिद्ध करने में सही थीं, यही विचारणीय बिंदु है ।
- 37 मृतक मोहन एवं अभियुक्त हरनाम सिंह रेल्वे में कार्य कर रहे थे एवं उनके बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर दुश्मनी थी । अ सा 2 के माध्यम से साक्ष्य में यह लाया गया है कि घटना के 2-3 दिन पहले अभियुक्त हरनाम सिंह एवं मृतक मोहन के बीच अ सा 2 के घर के पास बहस एवं झगड़ा हुआ था । अभियुक्त कमांक 2-बलवीर सिंह एवं अभियुक्त कमांक 3-भाव सिंह, अभियुक्त कमांक 1-हरनाम सिंह के सगे भाई हैं । यद्यपि यह बताया गया है कि अभियुक्त कमांक 2 एवं 3, अभियुक्त हरनाम के साथ थे, यह तथ्य फिर भी रहता है कि वे सशस्त्र नहीं थे । अभियुक्त भारत द्वारा पीठ पर मारे जाने के पश्चात् जब मोहन भागा, अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 अभिकथित रुप से उसका पीछा किया एवं अभियुक्त बलवीर सिंह ने अभिकथित रुप से मोहन की दाहिनी भुजा पकड़ी एवं अभियुक्त भाव सिंह ने मोहन का बॉई भुजा पकड़ी । साक्ष्य में यह भी लाया गया है कि अभियुक्त भरत मोहन को तब भी लाठी से पीट रहा था जब वह दोड़ रहा था । यदि अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 का सामान्य आशय में योगदान होता, तो वे भी मृतक पर प्रहार करते; किन्तु उन पर केवल यही आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मृतक को पकड़कर रखा था । अभियोजन ने साक्ष्य में यह नहीं लाया कि कोई मस्तिष्क का सम्मेलन था एवं यह कि अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 को यह ज्ञान था कि उनके भाई अभियुक्त हरनाम सिंह के पास कट्टा था । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निर्धारित करने के लिये विश्वासप्रद नहीं हैं कि अभियुक्त हरनाम सिंह एवं अन्य अभियुक्त भरत के साथ, मोहन की हत्या कारित करने के सामान्य आशय में अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 का भी योगदान था । अतः भादवि की धारा 302

सहपिटत धारा 34 के अर्न्तगत अभियुक्त क्रमांक 2 एवं 3 की दोषसिद्धि अपास्त किये जाने योग्य है ।

38. भादिव की धारा 302, 341 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1अ) सहपिठत धारा 27 के अधीन अपीलार्थी / अभियुक्त कमांक 1 हरनाम सिंह की दोषसिद्धि एवं उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश को पुष्ट किया जाता है एवं दांडिक अपील कमांक 1119 / 2010 निरस्त की जाती है । अभियुक्त हरनाम सिंह इस निर्णय के दिनांक से चार सप्ताह के भीतर, शेष सजा भुगतने हेतु स्वयं समर्पण करेगा, असफल होने की दशा में उसे अभिरक्षा में लिया जायेगा ।

39. भादिव की धारा 302 सहपिठत धारा 34 एवं धारा 341 के अधीन अभियुक्त कमांक 2 बलवीर सिंह एवं अभियुक्त कमांक 3 भाव सिंह की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है तथा वे भादिव की धारा 302 सहपिठत धारा 34 एवं धारा 341 के आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं तथा उनकी अपीलें दांडिक अपील कमांक 1115 / 2010 एवं दांडिक अपील कमांक 1116 / 2010 स्वीकृत की जाती हैं । अभियुक्त बलवीर सिंह एवं भाव सिंह के जमानत मुचलके उन्मोचित होंगे ।

न्यायमूर्ति आर बानूमथी ......

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी ......

नई दिल्ली

दिनांकः 19 फरवरी, 2019

